न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 25/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

अनवान

1. कालु आत्मज बरदा ओड
2. जस्सु पत्नि कालु ओड
3. प्रेमी पुत्री बरदा ओड सर्व निवासी रामाखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपीलाल आत्मज हुक्मीचन्द जाट
2. मोहनलाल आत्मज किशना जाट
3. पारसमल आत्मज किशना जाट
4. रोशनलाल आत्मज किशना जाट
5. शोभालाल आत्मज लेहरूलाल जाट,
6. सुन्दर पत्नि लेहरूलाल जाट
7. जीतमल आत्मज घीसा जाट
8. मोहनलाल आत्मज घीसा जाट
9. सुशीला पुत्री श्रीकिशन जाट
10. धापु पत्नि श्रीकिशन जाट
11. डालु आत्मज रूपा जाट सर्व निवासी सोनियाणा तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर

––विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांक:–03.01.2020

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रामाखेड़ा, पटवार क्षेत्र सोनियाणा तह. सहाडा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 707 रकबा 0.24 है., 711 रकबा 0.25 हे0 भूमियां मुझ प्रार्थीया संख्या 02 जस्सु के नाम पर दर्ज है। इसी प्रकार आराजी संख्या 710 रकबा 0.19 हे0 कृषि आराजी मुझ प्रार्थीया संख्या 03 प्रेम के नाम दर्ज है। जिसकी नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 की प्रस्तुत है।

यह कि हम प्रार्थीगण की कृषि भूमियो पर आवागमन का रास्ता विपक्षीगणों की कृषि भूमिया संख्या 756 रकबा 0.32 हे0 से होकर आराजी संख्या 755–765–764–770 से होकर हमारी कृषि भूमि से सदैव बना हुआ है। विपक्षीगण की जमाबंदिया एवं नक्शा ट्रेस की नकल प्रा0पत्र के साथ पेश है।

यह कि प्रार्थीगण की कृषि भूमियों में आवागमन हेतु कदीमी रास्ता ग्राम रामाखेड़ा की आराजी संख्या 756–755 के मध्य होकर आराजी संख्या 764– 765 व 770 की उत्तरी मेड़ के सहारे होकर निकलता है। इस रास्ते को विपक्षीगण द्वारा ताकत के बल पर बंद कर दिया है।

यह कि विपक्षीगण की आराजी संख्या 756–755–764–765 प आराजी संख्या 770 से होकर हम प्रार्थीगण हमारी खातेदारी की कृषि आराजी संख्या 707– 711–710 में प्रवेश करते है। ग्राम रामाखेड़ा से अन्य कोई रास्ता हमारी कृषि भूमियों पर नहीं जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर करके हम प्रार्थीगण की आराजी संख्या 707–711–710 वाके ग्राम रामाखेड़ा में आवागमन का कदीमी रास्ता जो ग्राम रामाखेड़ा की आराजी संख्या 756–755 के मध्य होकर आराजी संख्या 764–765 व 770 की उत्तरी मेड के सहारे होकर 15 फीट चौड़ाई में स्थित है को विपक्षीगण से खुलासा कराया जावे व विपक्षीगण को पाबंद कराया जावे कि विपक्षीगण उक्त रास्ते में आवागमन करने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करें।

प्रा. पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.05.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण उपस्थित। विपक्षीगण द्वारा जवाव पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजियात आम रास्ते से सटी होने से एवं प्रार्थीगण को रास्ते की कोई विधिक आवश्यकता नहीं होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

पेरोकार सरकार उपस्थित। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 16.11.2019 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

मौका पर्चा अनुसारः–

यह कि ग्राम रामाखेड़ा की खसरा संख्या 707, 710, 711 पर पहुंच हेतु वादी कालु पिता बरदा ओड निवासी रामाखेड़ा द्वारा खसरा संख्या 755, 756, 764, 765, 770 में रास्ता चाहा गया है।

यह कि उक्त खसरा सख्या पर वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नहीं है ।

यह कि मौके पर तारबंदी व मिट्टी की डोल लगाकर रास्ता बंद किया हुआ है

यह कि मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य रास्ता है जो कि ग्राम रामाखेड़ा से ग्राम सोनियाणा की सीमा में होता हुआ खसरा संख्या 2998, 2999 में से निकलता है जिसकी किस्म शमसान है। उक्त रास्ता दुरस्थ होकर रास्ते की लम्बाई लगभग 1.5 कि0मी0 है एवं उक्त रास्ता की लगभग 500 मीटर लम्बाई भी खातेदारी भूमि से होकर गुजर रही है।

यह कि किस्म गेमु शमसान से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है।

यह कि वर्तमान में उक्त आराजी पर आस –पास की पड़त आराजी से होकर जाया जा रहा है।

यह कि निकटतम रास्ता खसरा संख्या 757, 756, 755, 760, 764, 765 में लाल स्याही से प्रस्तावित कर दर्शाया गया है। रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर रखी गई है।

यह कि प्रस्तावित रास्ते अनुसार खसरा संख्या 757 क्षेत्रफल 0.05 में से 0.0040 हे, 756 क्षेत्रफल 0.32 में से 0.02 हे, 755 क्षेत्रफल 0.66 में से 0.0320 हे, 760 क्षेत्रफल 0.62 में से 0. 0040 हे0, 764 क्षेत्रफल 0.49 में से 0.120 हे0, 765 क्षेत्रफल 0.49 हे0 में से 0.0120 हे0 770 क्षेत्रफल 0.32 में से 0.04 हे0 भूमि आती है। अर्थात् रास्ते हेतु कुल 0.124 हे0 रकबा प्रभावित होती है। ग्राम रामाखेड़ा की किस्म असिंचित होकर वर्तमान डी0एल0सी0दर 279952 /– प्रति हेक्टयर निर्धारित है जिसके अनुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित 0.124 हे0 भूमि की मालियत 34715/–रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि 69430/– रूपये होती है।

यह कि दुरस्थ रास्ते को नक्शीट की छाया प्रति में पृथक रंग से दर्शाया गया हैं।

यह कि वैकल्पिक रास्ते को पृथक रंग से दर्शाया गया है जो शमसान भूमि व राजकीय रास्ते व खातेदारी भूमि से होकर गुजर रहा है।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उक्त मौका रिपोर्ट पर विपक्षीगण के अधिवक्ता ने आपत्ति प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त मौका रिपोर्ट पर हम विपक्षीगण को कोई सूचना नहीं दी गई उक्त मौका रिपोर्ट हम विपक्षीगण की गैर मौजुदगी में बनाई गई तथा मौका रिपोर्ट की कलम संख्या एक में विपक्षीगण की आराजियात में कोई रास्ता बना हुआ नहीं है फिर भी कलम संख्या 03 में रास्ता वंद करना बताया है जो तथ्यो एवं साक्ष्यों के विपरीत है तथा मौका रिपोर्ट की कलम संख्या 5 में जो वर्णित किया गया है वह कानून के विपरित है रास्ता दिया जाना न्यायालय के विवेकाधिकार का प्रश्न है जिसे रिपोर्ट में नहीं लिया जा सकता है अतः आपति प्रा0 पत्र पर समुचित आदेश पारित करें। साथ ही विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत वच्चन कंवर वनाम निरंजन सिंह –आर0आर0टी0 2018–2019(Supp.) आर0आर0टी0 पेज सं0 342 पेश की जिसके अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 251 ए किला नं0 24.17 व 14 से नया रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र एस0डी0ओ0 ने पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और रास्ता स्वीकृत किया आज्ञापक प्रावधान की अपालना रिपोर्ट पर पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं यह प्रतीत होता है कि रिपोर्ट पक्षकारों के पीछे तैयार की गई निर्णीत, आदेश अपारस्त किया तथा निर्देशो के साथ मामला प्रतिप्रेपित किया। (पैरा 7,8)

एवं न्यायिक दृष्टांत बाघसिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यू–आर0आर0टी0 2016 (1) आर0आर0टी0 पेज सं0 649 पेश की जिसके अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 251 ए नया रास्ता स्वीकृत करने हेतु न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज किया वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध था निद्यमान मार्ग के अलावा प्रार्थी सीधे मार्ग का दावा नहीं कर सकता निर्णीत , प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश न्यायसंगत है। (पैरा 7,8)

आपत्ति प्रा0 पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER द्वारा उनवान प्रकरण Kamla Devi vs. Premchand 2018 (2) RRT 1193 में पारित निर्णय के (पैरा 8, 10, 11, 12, 13) का हवाला दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 251ए –एसडीओ ने तहसीलदार से रिपोर्ट तलव की – अन्तिरिम आदेश कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है – प्रार्थी को नोटिस नहीं दिया– आदेश अपारस्त किया तथा मौका निरीक्षण करने और न्यून से न्यून से न्यून सुगम व सुविधाजनक रास्ता जोतो पर पहुचने हेतु मंजुर किया जावे। बाद बहस आपत्ति प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण व पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया ।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण व पेरोकार सरकार द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम रामखेड़ा प0ह0 सोनियाणा के आराजी नं0 707, 710, 711 में कोई रास्ता नहीं है। मौके पर वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है। मौका स्थिति अनुसार कोई अन्य रास्ता नहीं है। यह कि प्रार्थीगण के वताये अनुसार विपक्षीगण के आराजी नं0 755, 756, 764, 765, 770 की उत्तरी मेड पर 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की आराजी संख्या 707, 710, 711 में जाने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्व नक्शे में दर्शाया गया है। रास्ते हेतु उक्त आराजी 755, 756, 764, 765, 770 की उत्तरी मेड पर 15 फीट चौड़ा रास्ता भुमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

उप खण्ड अधिकारी
गंगरार

Scanned by CamScanner

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम रामाखेड़ा प0ह0 सोनियाणा की आराजी संख्या 707, 710, 711 में आने जाने के लिऐ विपक्षीगण की ग्राम रामाखेड़ा की आराजी संख्या 757 क्षैत्रफल 0.05 में से 0.0040 हे, 756 क्षेत्रफल 0.32 में से 0.02 हे, 755 क्षेत्रफल 0.66 में से 0.0320 हे, 760 क्षेत्रफल 0.62 में से 0.0040 हे0, 764 क्षेत्रफल 0.49 में से 0.120 हे0, 765 क्षेत्रफल 0.49 हे0 में से 0.0120 हे0 770 क्षेत्रफल 0.32 में से 0.04 हे0 भूमि आती है। अर्थात् रास्ते हेतु कुल 0.124 हे0 रकवा प्रभावित होती है। उत्तरी मेड 15 फीट चौड़ा रास्ता यानी 0.124 हे0 भूमि रास्ता हेतु उपयोग में आयेगी जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 279952/– है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार बनने वाली भूमि की डी0एल0सी0दर के अनुसार मालीयत 34715/–होती है। इसकी दुगुनी राशि 69430/–प्रार्थीगण विपक्षीगण खातेदार न. 1 लगायत 11 को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.124 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थीगण से उक्तानुसार राशि 69430/– प्रार्थी से वसुल कर विपक्षीगण नं0 1 लगायत 11 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम रामाखेड़ा की आराजी संख्या 757 क्षैत्रफल 0.05 में से 0.0040 हे, 756 क्षेत्रफल 0.32 में से 0.02 हे, 755 क्षेत्रफल 0.66 में से 0.0320 हे, 760 क्षेत्रफल 0.62 में से 0.0040 हे0, 764 क्षेत्रफल 0.49 में से 0.120 हे0, 765 क्षेत्रफल 0.49 हे0 में से 0.0120 हे0 770 क्षेत्रफल 0.32 में से 0.04 हे0 भूमि आती है। अर्थात् रास्ते हेतु उत्तरी मेड 15 फीट चौड़ा रास्ता यानी 0.124 हे0 भूमि को गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर, जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2020.01.03 17:03:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: